

पत्रांक— SPMU/257/2025-

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

आदेश

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत बिहार राज्य के छात्र-छात्राओं द्वारा शिक्षा ऋण हेतु आवेदित आवेदनों के सत्यापन यथा-आवेदक का नामांकन, सत्र, हॉस्टल, संस्थान के बैंक खाता विवरणी, संस्थान के पता एवं आवेदक के नामांकन के प्रक्रिया इत्यादि का विभागीय प्रपत्र में सत्यापन कार्य TVPA Zone-I (बिहार) में अधिष्ठापित सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों से भौतिक रूप से कार्य करने हेतु M/s Abhay Techno Services Pvt.Ltd को अधिकृत कर उनके साथ किए गए अनुबंध से अवगत कराया गया है।

अतः बिहार राज्य अवस्थित सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों के प्रधान/प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत शिक्षा ऋण हेतु आवेदनों को विभागीय प्रारूप में सत्यापन करने में नव अधिकृत एजेंसी को सहयोग प्रदान करें।

ह०/—

(सज्जन आर०)

अपर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी,  
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, पटना।

पटना, दिनांक : 20/01/2025

ज्ञापांक :- SPMU/257/2025- 23

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप मिशन निदेशक, युवा उप मिशन, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सचिव, शिक्षा विभाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by

Sajjan Rajasekar

Date: 18-01-2025 12:03:49

अपर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी,  
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, पटना।